<u>महत्वपूर्ण</u>
<u>संख्या-355/83-2025</u>

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र० एवं
समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ: दिनांक 19 मई, 2025

<u>विषय:</u> केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नामांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराया जाना है कि नागरिक सुरक्षा विभाग, उ०प्र० के अन्तर्गत लखनऊ स्थित केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 एक राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्थान है, जिसमें आपदा प्रबन्धन, खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा एवं अग्निशमन सेवा से संबंधित प्रशिक्षण वर्ष भर आयोजित किये जाते हैं। वर्तमान में प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदायें, परिवर्तनीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भूकम्प, बाढ़, सूखा जैसे आपदाओं की समस्या प्रायः बनी रहती है तथा महामरियाँ जैसे-कोरोना, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया इत्यादि की भी स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं।

उक्त के दृष्टिगत इस संस्थान में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन एवं सुरक्षा से जुड़े पदाधिकारियों तथा नागरिक सुरक्षा व होमगार्ड्स विभाग के स्वयंसेवकों हेतु आपदाओं की स्थिति में समाज में जीवन व सम्पत्ति की हानि को कम करने, उत्पादन की निरन्तरता बनाये रखने एवं नागरिकों के मनोबल को ऊंचा रखने जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नागरिक सुरक्षा आपत्ति काल में सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति के नाम से भी प्रख्यात है, किन्तु बिना प्रशिक्षण के उक्त को यथार्थ रूप नहीं दिया जा सकता है।

2- केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, सीतापुर रोड, लखनऊ में आयोजित होने वाले वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार करते समय प्रत्येक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सीटें सुरक्षित कर दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जाती है तथा उक्त की सूचना सम्बन्धित नामांकनकर्ता विभागों को पूर्व में ही प्रेषित करते हुए सीटों के पूर्ण उपयोग हेतु निवेदन किया जाता है।

परन्तु संज्ञान में लाया गया है कि प्रकरण में पूर्व में निर्गत स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ पर आयोजित होने वाले पाठ्यक्रमों में विभिन्न विभागों को आवंटित सीटों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है एवं प्रशिक्षण के प्रति उदासीनता का भाव अनवरत बना हुआ है। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ही अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण में नामांकन हेतु असमर्थता प्रकट करते हैं अथवा नामांकन के उपरान्त भी नामित अधिकारी/कर्मचारी ही किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह भरसक प्रयास करते हैं कि प्रशिक्षण में उपस्थित न होना पड़ें।

3- अतएव कृपया विभागों हेतु आवंटित सीटों के अनुरूप प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व अनिवार्य रूप से कर दिया जाय एवं आकस्मिकता की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कुछ पदाधिकारियों का अतिरिक्त चयन कर प्रशिक्षण हेतु आरक्षित रखा जाय, ताकि विभागों हेतु आवंटित सीटों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके | प्रत्येक विभाग उक्त कृत कार्यवाही से निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ०प्र० एवं कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ को समय से सूचित करें एवं साथ ही उपरोक्त आदेश से अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम |

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ०प्र० ।

2- कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम के निर्धारण की सूचना प्रत्येक विभाग को ससमय उपलब्ध कराएं एवं विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सकुशल संचालित कराएं । साथ ही प्रशिक्षण की गतिविधियों से समय-समय पर शासन एवं निदेशालय को भी अवगत कराएं ।

आज्ञा से,
संयुक्ता समद्दार
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in